

रीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व
अहकाम उ
हुक्म की
में जारी

10/07/24

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। बहस उभयपक्ष खाता विभाजन की प्राथमिक डिक्री पर सुनी गयी। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से उनके अभिभाषक श्री महेन्द्र कल्ला द्वारा इस वाद के समान पक्षकारान द्वारा विवादित भूमि के बाबत् वाद संख्या 16/2024 इस वाद से पूर्व में पेश किया जा चुका है। जिसके तहत वांछित अनुतोष इस वाद के हमराह है। उक्त प्रकरण प्रतिवादी संख्या 1 के अभिभाषक को नोटेड कराया जाकर प्रार्थना-पत्र पर बहस उभयपक्ष सुनी गयी। अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा उक्त वाद को पूर्व प्रस्तुत वाद संख्या 16/2024 के हमराह किये जाने पर सहमति प्रकट की।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया। दोनों वाद-पत्रों का अवलोकन किया। उक्त वाद एवं वाद संख्या 16/2024 समान पक्षकारान एवं समान विवादित भूमि के बाबत् प्रस्तुत है। अतः उक्त वाद-पत्र को पूर्व प्रस्तुत वाद संख्या 16/2024 के हमराह किये जाने का आदेश दिया जाता है। इसके अतिरिक्त वाद संख्या 16/2024 के तहत उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत सहमति के आधार पर खाता विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की जा चुकी है। अतः उक्त वाद को वाद संख्या 16/2024 के हमराह किया जाकर फैसल शुमार किया जाता है। वाद संख्या 16/2024 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.07.2024 उक्त वाद का निस्तारण पढ़ा जावे। आदेश आज दिनांक 10.07.2024 को लिखया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीक तकमील दाखिल दफ्तर हो।


उपखण्ड अधिवक्ता
नीतमनोर